

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 110/2025

दायर दिनांक 28.03.2025

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. मुनीर खां पुत्र पीर खां
2. लाल खां पुत्र पीर खां
3. युसुफ खां पुत्र पीर खां
समस्त जाति मुसलमान
निवासीगण खुनखुना
स्टेशन तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना-कुचामन,
राजस्थान।

01. गुलाब खां पुत्र पीर खां
02. नसीर खां उर्फ बाबु खां पुत्र पीर खां
03. मुंशी खां पुत्र भंवरू खां
04. अरमान पुत्र सुलेमान
05. छोटी बानों पत्नी सुलेमान
06. आमीर खां पुत्र बशीर खां
07. तबसुम पुत्री बशीर खां नाबालिक जरिये
प्राकृतिक माता बतुल पत्नी बशीर खां
08. बतुल पत्नी बशीर खां
09. मदीना बानों पत्नी रूस्तम खां
10. मो. अयुब खां पुत्र हबीब खां
11. रूकसाना बानों पत्नी मो. अयुब खां
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण
खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना कुचामन राज.
12. तहसीलदार मौलासर

बना
म्

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53,88,188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री अजीत सिंह राठौड वकील वादीगण।
2. श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11

--: निर्णय :-

दिनांक 19.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा खुनखुना के खेत खसरा सं. 752 रकबा 4.4100 है., खसरा संख्या 786 रकबा 0.2000 है. व खसरा संख्या 787 रकबा 2.0300 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 11.06.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: प.1(14)रीडर/2025/666 दिनांक 16.12.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक प.1(14)रीडर/2025/666 दिनांक 16.12.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद आंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-


wks
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

-:: आदेश ::-

सरहद मौजा खुनखुना के खेत खसरा सं. 752 रकबा 4.4100 है., खसरा संख्या 786 रकबा 0.2000 है. व खसरा संख्या 787 रकबा 2.0300 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प. 1(14)रीडर/2025/666 दिनांक 16.12.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(14)रीडर/2025/666 दिनांक 16.12.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

ideas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

ideas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना